न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 30/2005 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2005/00020

उनवान

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र देवलाल जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली सब तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर (फौत)
   1/1. द्रोपती पत्नी स्व0 सुरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली सब तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
   1/2. सबर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली सब तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. चतुर सिंह पुत्र देवलाल जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली सब तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
3. ग्राम पंचायत ग्राम पिदावली द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम पिदावली।
4. देवी सिंह पुत्र भोलाराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली सब तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
5. गिरन्द सिंह पुत्र डोंगरसहायक जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली सब तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
6. मलखान सिंह पुत्र कप्तान सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली सब तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
7. लोचन सिंह पुत्र सोबरन सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पिदावली का पुरा सब तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.04.1988 प्रकरण संख्या 145/1985 उनवान सुरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर, बाडी।

अभिभाषकगण :–

1. पैरोकार सरकार उपस्थित।
2. श्री नैमीचन्द रावत अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 06 व 07 उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–01.04.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, बाडी के निर्णय दिनांक 21.04.1988 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण के पिता ग्राम पिदावली के भूतपूर्व जमींदार थे। जिनका मुख्य धन्धा खेती था। वादीगण के पिता की जमींदारी में एक आराजी बिना नम्बरी मौसूमा समाधि वाला नरा रकवा 140 बीघा ग्राम पिदावली में है। जिसको वादीगण ने संवत 2009 में अपनी खुदकाश्त में लेकर जोता बोया और काबिज हुये। इस विवादित आराजी में ही वादीगण का बोरिंग लगा हुआ है एवं कच्चा मकान व बॉध बना हुआ है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने पर वादीगण को उक्त आराजी में हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं। संवत 2009 या उसके करीब ग्राम पिदावली के नागरिको ने वादीगण के कब्जे में बाधा डालनी चाही। फलस्वरूप वादीगण को तहसीलदार, बाडी में चाराजोही करनी पडी। उक्त कार्यवाही पर तहसील बाडी से मिसिल नम्बर 22 सन् 1952 कायम हुयी और तहसीलदार ने दिनांक 12.07.1952 को उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा मानते हुये। विवादित आराजी को वादीगण के पक्ष में खुदकाश्त दर्ज करने के आदेश दिये। पटवारी हल्का ने संवत 2009 में खसरा गिरदावरी में उक्त आदेश का नोट लगाया। रकवा बिना नम्बरी होने के कारण पटवारी ने सरकारी कागजात में वादीगण का खाता नहीं कायम किया और ना ही खसरा गिरदावरी में ही कोई इन्द्राज किया। बन्दोबस्त ने उक्त बिना नम्बरी रकवा का खसरा नम्बर 74 रकवा 129 बीघा 17 विस्वा वाके ग्राम पिदावली कायम करते हुये चारागााह दर्ज कर दिया जो खिलाफ मौका एवं कानून है। जबकि विवादित आराजी कभी चारागाह नहीं रही। पंचायत पिदावली ने वादीगण के पक्ष में विवादित आराजीयात का दाखिला खारिज कर दिया। जिसे राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेन्स कर दिया जो मंजूर हो चुका है। इससे वादीगण के हकूको पर कोई प्रभाव नहीं पडता। परन्तु अब प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट वादीगण/रैस्पो0 को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहें हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 74 वाके ग्राम पिदावली का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद ना तो रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 हाजिर हुये एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 संख्या 06 व 07 की सुनी गयी।

3. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित भूमि सामलात देह का रकवा है, जो जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित हो गया। रैस्पो0 में से कोई भी व्यक्ति विवादित आराजी पर कभी भी खुदकाश्त दर्ज नहीं रहा है। अतः विवादित आराजी का राज्य सरकार में निहित होना स्वाभाविक था। राज्य सरकार ने विवादित आराजी को पशु चराई के कार्य में लेने हेतु रिजर्व कर दिया। विवादित आराजी से रैस्पो0 का कोई संबंध सारोकार नहीं रहता है। दावा करते समय विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज थी तथा चारागाह भूमि पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। रैस्पो0 को चारागाह के विरूद्ध

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

चाराजोही करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी कानूनी बिन्दुओ की ओर गौर ना करते हुये, गैर कानूनी निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 06 व 07 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी चारागाह है जिस पर गॉव के मवेशी चरते हैं तथा इसके अलावा दूसरा कोई चारागाह गॉव में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 संख्या 01 व 02 को गलत प्रकार से खातेदारी दी है, जो राज्य सरकार के खिलाफ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि बन्दोबस्त में तैयार रिकार्ड में विवादित खसरा नम्बर 74 रकवा 129 बीघा 17 विस्वा, साविक 157 बीघा 01 विस्वा से बना है जो मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बिना नम्बरी अंकित किया हुआ है। प्रदर्श पी–12 नकल तहरीर न्यायालय तहसीलदार बाडी दिनांक 28.08.1952 मिसल नम्बर 22 के अनुसार शामलात देह की आराजी में से हस्व हिस्सा देवलाल बल्द दयाराम ठाकुर जमींदार, बंजड आराजी बिनावर काश्त मवेशी के चरने के लिहाज करते हुये दिये जाने का अंकन है। परन्तु इस तहरीर के आधार पर ना तो कोई खाता कायम हुआ ओर ना ही खसरा गिरदावरी में कोई अंकन हैं। फोटो प्रति निर्णय न्यायालय जिलाधीश, धौलपुर दिनांक 10.05.1978 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 74 रकवा 129 बीघा 17 विस्वा चारागाह की भूमि पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 118 द्वारा रैस्पो0 को खातेदार दर्ज किया गया था, उसे निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल को रैफरेन्स पेश करने का निर्णय लिया गया था। उक्त रैफरेन्स में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय रैफरेन्स संख्या 24/78 दिनांक 09.12.1981 द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर आराजी को बदस्तूर चारागाह दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त समस्त आदेशो के पश्चात् रैस्पो0 को विवादित आराजी पर अनाधिकृत कब्जे के आधार पर बेदखल रकने एंव शास्ति आरोपित कर उसे वसूल करने तथा एक माह के सिविल कारावास भुगतने के आदेश हुये हैं। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति आदेश दिनांक 16.10.1987 से होती है। उक्त आदेश की अपील रैस्पो0 द्वारा जिलाधीश धौलपुर के न्यायालय में पेश की गयी थी जो फोटो प्रति निर्णय दिनांक 14.11.1983 से खारिज हुयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि शुरू से सामलाल देह की भूमि थी, जो जमींदारी–विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के लागू होते ही राज्य सरकार में निहित हो गयी व बाद में चारागाह घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज हो गयी। रैस्पो0 विवादित आराजी पर एडमिटेड टीनेन्ट नहीं है। क्योंकि ना तो विवादित आराजी पर कभी लगान कायम किया गया और ना ही कोई खाता ही बना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि विवादित भूमि के बन्दोबस्त से पूर्व रैस्पो0 के हक में किसी प्रकार की खुदकाश्त आदि के इन्द्राज रहे हो एवं ना ही विवादित भूमि को काश्त करने संबंधी कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध है। उस समय उक्त रकवा बिना नम्बरी रकवा था। जिसे बन्दोबस्त विभाग ने चारागाह दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

किया गया है। लिहाजा विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिसका संरक्षण महत्वपूर्ण है एवं अनेक न्यायिक निर्देश भी इस बाबत् जारी हो चुके हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार चारागाह भूमि पर किसी को भी कोई स्वत्व/अधिकार प्राप्त नही हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के विरूद्ध जाकर रैस्पो0 को विवादित आराजी पर खातेदार घोषित किया है, जो अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है। अतः इस प्रकार का निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.1988 अपास्त किये जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर